(146)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1158/पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 18-02-13 पारित द्वारा तहसीलदार, बडनगर प्रकरण क्रमांक 9/अ-13/2011-12.

आनंदपालसिंह पिता सोहनसिंह
निवासी ग्राम खंडवाबीबी कृषक ग्राम सतवासा
तहसील बडनगर, जिला उज्जैन .....आवेदक

विरूद्ध

चरणसिंह पिता तुलसीराम
निवासी ग्राम सतवासा,
तहसील बडनगर,जिला उज्जैन .....अनावेदक

श्री आशीष वैध, अभिभाषक, आवेदक
श्री एम.एल. यादव, अभिभाषक, अनावेदक

-:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, बडनगर द्वारा पारित दिनांक 18-02-13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम सतवासा स्थित उसके भूमि स्वामी स्वत्व की सर्वे नम्बर 28 रकबा 0.99 हेक्टेयर पर आगे जाने के रास्ते को अनावेदक द्वारा अवरूद्ध किये जाने से रास्ता खुलवाये जाने हेतु संहिता की धारा 131 के अंतर्गत आवेदन पत्र तहसीलदार, बडनगर जिला उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/अ-13/2011-12 दर्ज कर दिनांक 18.02.13 को आदेश पारित कर अन्तरिम रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से लिखित रूप से तर्क प्रस्तुत किये गये कि तहसील न्यायालय द्वारा अधिकारिता रहित आदेश पारित किया गया है। अनावेदक के

लिए शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 30 से सर्वे नम्बर 29 व 28 में से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है और स्थल निरीक्षण में भी वैकल्पिक मार्ग होना पाया गया है। इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है। यह भी कहा गया कि आवेदक की भूमि सर्वे नम्बर 25 के किसी भी भाग पर कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है। अनावेदक के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र में भी शासकीय भूमि से मार्ग होने का उल्लेख है। इसके उपरांत भी तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की भूमि से नवीन रास्ता दिये जाने में अवैधानिकता की गई है। तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 131 के प्रावधानों का बिना पालन किये आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय का आदेश विरोधाभाषी है, क्योंकि आदेश में आवेदन पत्र में दर्शाये गये रास्ते के अलावा अन्य रास्ता होने का उल्लेख किया गया है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 131 के प्रावधानों का पालन करते हुए आदेश पारित किया गया है। यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया गया है, जिसमें आवेदक द्वारा रास्ता अवरूद्ध किया जाना पाया गया है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया कि तहसीलदार द्वारा अभी अंतिम आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदक ने सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर दिलाया है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा जब स्थल निरीक्षण में अनावेदक के आने-जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग पाया गया है, तब संहिता की धारा 32 का उपयोग कर अन्तरिम रास्ता खुलवाये जाने का कोई औचित्य अथवा आवश्यकता नहीं थी । दर्शित परिस्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित अन्तरिम आदेश निरस्त 18-2-13 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ भेजा जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दो माह में प्रकरण का अन्तिम निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर